

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या-1796
उत्तर देने की तारीख-13/02/2023

तमिलनाडु और ओडिशा में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना

†1796. श्री धनुष एम. कुमार:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री जी. सेल्वम :
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु और ओडिशा में समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत कितने विद्यालय और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए हैं;
- (ख) इन राज्यों को उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु आवंटित / जारी की गई धनराशि और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों का बहु-विषयक विद्यालयों में उन्नयन करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार वहां कई और विद्यालय तथा शिक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत देश में कोई नया मिशन शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर और विद्यालयी अवसंरचना में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें उपयुक्त सरकारें हैं, और आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार और

संबंधित आरटीई नियमावली के अनुसार स्कूलों में अवसंरचना प्रदान करने की जिम्मेदारी और जनादेश दिया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर इक्विटी और समावेशन सुनिश्चित करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए 2018-19 से समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाईज़+) से निर्धारित अंतराल और संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के निर्माण और वृद्धि के लिए सहायता दी जाती है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता एवं वृद्धिशीलता के आधार पर प्रत्येक वर्ष स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का भी आकलन किया जाता है और उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती हैं। इसके बाद इन योजनाओं का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान लगाया जाता है।

तमिलनाडु में 2019-20 से 2022-23 तक 3 स्कूलों को 480.1 लाख रुपये के अनुमानित बजट के साथ अपग्रेड किया गया। ओडिशा में 2019-20 से 2022-23 तक 62 स्कूलों को 5801 लाख रुपये के अनुमानित बजट के साथ अपग्रेड किया गया।

(ड) समग्र शिक्षा के तहत इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं: -

(i) देश के कम प्रदर्शन वाले 10 जिलों के प्रदर्शन में सुधार का मिशन:-

मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2022 को स्कूली शिक्षा में देश के कम प्रदर्शन वाले जिलों (एलपीडी) के प्रदर्शन में सुधार के लिए मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत 10 जिलों की पहचान की गई है। मिशन का उद्देश्य कम से कम राज्य/राष्ट्रीय औसत तक ग्रेड 3 और 5 में बच्चों के अधिगम परिणाम के संबंध में इन जिलों के प्रदर्शन को ऊपर उठाना है।

(ii) **निपुण भारत पहल:-**

एनईपी 2020 की अनुशंसा के अनुसार, समग्र शिक्षा के तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक आवश्यक रूप से ग्रेड 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर ले, 5 जुलाई 2021 को सरकार द्वारा एक समर्पित मिशन 'राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में दक्षता पहल; (निपुण भारत) शुरू किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, शिक्षकों और छात्रों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) दोनों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री को शामिल करने, परिभाषित और मापनीय अधिगम के परिणाम, शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अधिगम के परिणामों की उपलब्धि पर नज़र रखने सहित मूल्यांकन तकनीकों, पोषण सहित बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए 5-स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र

के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत स्तर के लिए एक पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया गया है।

निपुण भारत मिशन के तहत अब तक की गई प्रमुख पहलों में निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन; ग्रेड I के लिए विद्या प्रवेश दिशानिर्देश और माँड्यूल का विकास, प्री-स्कूल से ग्रेड V तक के शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए निष्ठा-एफएलएन का आरंभ, प्री-स्कूल शिक्षकों/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए मास्टर प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों के लिए निष्ठा ईसीसीई का आरंभ; फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (एफएलएस) का संचालन; एफएलएन संसाधनों की उपलब्धता के लिए दीक्षा एफएलएन पोर्टल का सृजन; 100 दिवसीय पठन अभियान का संचालन; स्कूल बंद करने और उसके बाद गृह-आधारित शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशानिर्देशों का विकास; बुनियादी अधिगम में सामुदायिक जुड़ाव के लिए दिशानिर्देशों का विकास; अकादमिक टास्क फोर्स (एटीएफ) और जिला टास्क फोर्स सदस्यों (डीटीएफ) का प्रशिक्षण; मूलभूत शिक्षा में पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन: सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, स्थिति साझा करने और चुनौतियों को समझने के लिए धरातल पर अभिव्यक्ति और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन कार्यान्वयन की निरंतर ट्रेकिंग और निगरानी शामिल हैं।

(iii) सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का कायाकल्प: -

मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत 4590 करोड़ रुपये के समग्र बजट अनुमान के साथ देश भर के सरकारी स्कूलों में लगभग 1.2 लाख के बुनियादी ढांचे के कायाकल्प पर एक परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के अंतर्गत आने वाली पहलों में बड़ी/छोटी मरम्मत, कार्यात्मक शौचालय (लड़के/लड़कियां), बिजली कनेक्शन, सुचारु पेयजल सुविधा और चाहरदीवारी शामिल हैं।

(च) सरकार ग्रामीण भारत सहित देश में शिक्षा के स्तर और स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सभी स्तरों पर स्कूल शिक्षा के मानदंडों में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

(i) केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा हेतु प्री-स्कूल से XII कक्षा तक की एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा में विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपलब्धि सर्वेक्षण के आयोजन, अधिगम अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्कूल के लिए समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान इत्यादि के लिए सहायता प्रदान करने के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, शिक्षा तक

सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के नए स्कूल खोला जाना/ सुदृढीकरण, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन और संचालन, आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना शामिल है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त कर ले, समग्र शिक्षा के तहत बोध के साथ पठन और संख्याज्ञान में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) की शुरुआत की गई है और इसकी ई-सामग्री को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है।

(iii) शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों / प्रधानाचार्यों और अन्य हितधारकों के लिए स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए एकीकृत सेवाकालीन शिक्षकप्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 1.0, 2.0 और एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3.0 की शुरुआत की गई है।

(iv) माध्यमिक स्तर के लिए अधिगम परिणामों को अधिसूचित कर दिया गया है।

(v) शिक्षा की स्थिति के संकेतक के रूप में बच्चों की अधिगम दक्षता का मूल्यांकन करने और विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्रवाई हेतु उचित कदम उठाने के लिए 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का आयोजन किया गया है।

(vi) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड प्रदान करने के लिए एक 70 संकेतक आधारित मैट्रिक्स प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) विकसित किया गया है। जिलों को ग्रेड प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) तैयार किया गया है।

(vii) सीबीएसई द्वारा स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल (सफल) फ्रेमवर्क विकसित किया गया है और मुख्य सिद्धांतों, एप्लिकेशन-आधारित प्रश्नों और उच्च-स्तर के विचार कौशल के परीक्षण पर फोकस करते हुए कक्षा 3, 5 और 8 के बच्चों का दक्षता योग्यता-आधारित मूल्यांकन करने हेतु इसकी शुरुआत की गई है।

(viii) विद्या प्रवेश- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रेड- 1 में प्रवेश करते समय बच्चों को एक स्वागत योग्य और अनुकूल परिवेश मिले, तीन महीने के प्ले-आधारित स्कूल प्रीपेरेशन मॉड्यूल दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ix) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है।
